



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274497
CG-DL-E-14072026-274497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3709]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948

No. 3709]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

गृह मंत्रालय
(सीटीसीआर प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2026

का.आ. 3871(अ).— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 4466(अ)., दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व संपादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया था, बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से- एतद्वारा, सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय, मुंबई के न्यायालय सं. 26 को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु केवल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के उपरोक्त विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे महाराष्ट्र राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/42/2022- एन.आई.ए.]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(CTCR Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2026

S.O. 3871(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency, Act 2008 (34 of 2008), the Central Government- in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4466(E), dated the 12th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Bombay High Court and the Government of Maharashtra- hereby designates the Court Room No. 26 of City Civil & Sessions Court, Mumbai as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the said Act, exclusively for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court for National Investigation Agency mentioned above shall extend throughout the State of Maharashtra.

[F. No. 11011/42/2022- NIA]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.